7017

रामरतन / हरिराम व अन्य

(2017/00145)

राघवेन्द्र सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
28.09.22	पत्रावली वास्ते निर्णयार्थ पेश हुई। समय अभाव के कारण निर्णय नहीं सुनाया गया। अतः पत्रावली वास्ते निर्णयार्थ दिनांक 11.10.2022 को पेश हो। संभागीय आयुक्त अजमेर
11.10.22	पत्रावली वास्ते निर्णयार्थ पेश हुई। समय अभाव के कारण निर्णय नहीं सुनाया गया। अतः पत्रावली वास्ते निर्णयार्थ दिनांक 01.11.2022 को पेश हो। संभागीय आयुक्त अजमेर
01-11-22	पत्रावली वास्ते निर्णयार्थ पेश हुई। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण/निगरानीकर्ता ने जिन दस्तावेजों को न्यायालय हाजा के समक्ष चुनौती दी है वे दस्तावेजात पंजीकृत दस्तावेज है और जिनके सन्दर्भ में कोई भी चाराजोही/विधिक उपचार न्यायालय हाजा में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में प्रार्थीगण/ निगरानीकर्ता सिविल न्यायालय में ही चाराजोही/ विधिक उपचार प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि पंजीकृत दस्तावेज का निरस्तीकरण एवं इन्हें चुनौती देने का अधिकार व सुनवाई की अधिकारिता माननीय सिविल न्यायालय को ही है। अतएव ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण/निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी न्यायालय हाजा में पोषणीय नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण/निगरानीकर्ता की यह निगरानी इसी आधार पर न्यायालय हाजा में पोषणीय नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। संभागीय आयुक्त अजमेर

Scanned with CamScanner